



CBDT द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन

प्रलिस के लयः

[प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961, ववाद से वशवास, एंजल टैकस, पुंजीगत लाभ](#)

मेन्स के लयः

भारत में कराधान प्रणाली में सुधार, मुददे, भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियों से संबंघति मुददे, कर व्यवस्था में परविरतन

[स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

[आयकर वभाग](#) एक नवगठति आंतरिक समतिके माध्यम से [आयकर अधिनियम, 1961](#) में महत्त्वपूर्ण बदलाव कर रहा है।

- [केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड \(CBDT\)](#) के अध्यक्ष द्वारा घोषति यह कदम केंद्र सरकार द्वारा संचालति पहल का हसिसा है जसिका उद्देश्य भारत के [प्रत्यक्ष कर](#) कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना है।

आयकर अधिनियम की समीक्षा क्यों की जा रही है?

- **ऐतहासिक जटलिता:** आयकर अधिनियम, 1961 की इसकी जटलिता और पुराने प्रावधानों के कारण आलोचना की जाती रही है।
 - अधिनियम को सरल बनाने के लयि कयि गए वगित प्रयासों (जैसे: 1958 में [वधिआयोग](#) द्वारा 1922 के आयकर अधिनियम पर कयि गए कार्य) ने प्रदर्शति कयि कि वास्तविक सरलीकरण के लयि कर ढाँचे में पूर्ण संशोधन आवश्यक है।
- **आधुनिकीकरण की आवश्यकता:** अधिनियम की जटलिता के कारण सरकार एवं [करदाताओं](#) के मध्य ववाद और भ्रम की स्थति उत्पन्न हुई है। समीक्षा का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतबिबिति करने के लयि कानून को अद्यतन करना है, जसिसे इसे अधिक पारदर्शी और नेवगिट करना आसान हो सके।
- **अनुपालन में सुधार:** कर कानून को सरल बनाने से अस्पष्टता कम होने और फाइलिग प्रकरया को अधिक सरल बनाने से करदाता अनुपालन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
 - यह समीक्षा कर प्रणाली को अधिक कुशल तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के व्यापक प्रयास का हसिसा है।
- **ववाद समाधान:** लंबे समय से चले आ रहे ववादों को नपिटाने के लयि [ववाद से वशवास](#) योजना लागू की गई है।
 - समीक्षा में पुनर्मूल्यांकन अवधि को छोटा करने तथा करदाताओं और कर वभाग के मध्य टकराव को कम करने के लयि उच्च मौद्रिक सीमा नरिधारति करने पर भी वचारि कयि जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के मुख्य पहलू क्या हैं?

- **परचय:** आयकर अधिनियम, 1961 भारत में आयकर को नयित्तरति करने वाला एक मूलभूत कानून है। एक व्यापक तंत्र के रूप में, यह तय करता है कि व्यक्तियों और नगिमें से आयकर कसि प्रकार लगाया, प्रशासति एवं एकत्र कयि जाए।
 - इसमें 298 धाराएँ, 23 अधयाय और कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं, जनिमें भारत में कराधान के सभी पहलू शामिल हैं।
 - आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जसि व्यक्तियों को वहन करना होता है, इसे हस्तांतरति करने का वकिलप नहीं होता।
- **उद्देश्य:**
 - **आर्थिक स्थरिता:** अधिनियम का उद्देश्य नजी व्यय को वनियमति करके और प्रगतशील कराधान सुनश्चिति करके आर्थिक स्थरिता बनाए रखना है।
 - **प्रगतशील कराधान:** इसका उद्देश्य यह सुनश्चिति करना है कि व्यक्तियों अपनी आय के स्तर के अनुसार करों में योगदान दें, जसिसे कर प्रणाली में नषिपक्षता और समानता को बढ़ावा मिले।
 - **राजस्व संग्रह:** वभिन्नि स्रोतों से आय पर कर लगाने के लयि स्पष्ट नयिमें की रूपरेखा बनाकर, अधिनियम कुशल राजस्व संग्रह और

प्रबंधन में मदद करता है।

■ मुख्य प्रावधान:

- **कर स्लैब:** आय वर्ग और व्यक्तियों तथा व्यवसायों पर लागू संबंधित कर दरों को परिभाषित करता है।
- **कटौतियाँ:** वार्षिक सीमा के अधीन, 80C (नविश), 80D (चिकित्सा बीमा प्रीमियम) और 80G (दान) जैसी धाराओं के अंतर्गत कटौती की अनुमति देता है।
- **मूल्यांकन:** कर योग्य आय का आकलन करने, रटिर्न दाखिल करने और ऑडिट करने की प्रक्रियाओं का विवरण देता है।
- **स्रोत पर कर कटौती (TDS):** कुछ भुगतानों के लिये [स्रोत पर कर कटौती](#) की आवश्यकता होती है, जिससे कर संग्रह प्रक्रिया सरल हो जाती है।
- **पूँजीगत लाभ:** अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ के प्रावधानों सहित परसिंपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर कराधान को वनियमित करता है।
- **दंड और अपील:** गैर-अनुपालन के लिये दंड और अपील के माध्यम से विवादों को हल करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

■ हाल के प्रमुख सुधार:

- **कॉर्पोरेट कर दरें:** हाल के सुधारों में कॉर्पोरेट कर दरों को कम करना और कुछ प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शामिल है।
 - कॉर्पोरेट करदाताओं के लिये प्रभावी कर दर सत्र 2017-18 में 29.49% से घटकर सत्र 2021-22 में 23.26% हो गई। वदेशी कंपनियों के लिये कॉर्पोरेट कर की दर भी घटाकर 35% कर दी गई है और [एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया गया](#) है।
- **व्यक्तिगत आयकर स्लैब:** कम आय वाले समूहों के लिये कम आयकर स्लैब और कम दरों से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है।
 - कर स्लैब के सरलीकरण से करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो सत्र 2019-20 और सत्र 2022-23 के दौरान 89.8 मिलियन से बढ़कर 93.7 मिलियन हो गई है।

आयकर अधिनियम, 1961 में किये गए संशोधन से क्या अपेक्षित लाभ होंगे?

- **संकल्पितता और स्पष्टता:** संशोधित अधिनियम अधिक **संकल्पित** होगा, जिससे इसे समझना और नेवगिट करना आसान हो जाएगा।
 - **अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को समाप्त करने** से अधिनियम कम बोझिल होगा, जिससे करदाताओं एवं कर अधिकारियों पर प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा।
- **बेहतर करदाता अनुभव:** अधिक सरल कर कानून **अस्पष्टता को कम करेगा** और **करदाताओं के लिये सस्टिम को नेवगिट करना आसान** बना देगा, जिससे विश्वास एवं अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
- **पूँजीगत लाभ कर सुधार:** सरकार **वैश्विक रुझानों** के साथ तालमेल बैठाते हुए पूँजीगत लाभ व्यवस्था में सुधार करने की योजना बना रही है।
 - इसमें **इकवर्टी पूँजीगत लाभ पर कर** बढ़ाना और **वायदा एवं वकिलों पर प्रतभूत लिने-देन कर बढ़ाना** शामिल है। सुधार का उद्देश्य विभिन्न परसिंपत्तियों और आय समूहों के बीच कर के बोझ को संतुलित करना है।
- **व्यापक कर आधार:** सरलीकृत **अनुपालन प्रक्रियाएँ** और **स्पष्ट वनियमन उच्च कर** अनुपालन एवं कर आधार को व्यापक बना सकते हैं।
 - **बेहतर प्रवर्तन और कम खामियों के साथ**, सरकार को कर दरों या छूटों में संभावित कटौती के बावजूद राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
- **बेहतर कारोबारी माहौल:** अधिक पारदर्शी और **पूर्वानुमानित कर व्यवस्था** भारत को **वदेशी एवं घरेलू निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक** गंतव्य बनाएगी।
 - नविश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये **कॉर्पोरेट और पूँजीगत लाभ कर दरों में समायोजन** किया जा सकता है।
- **दीर्घकालिक आर्थिक लाभ:** आधुनिक **कर प्रणाली आर्थिक विकास और स्थिरता का समर्थन करेगी**, जो **वर्ष 2047 तक विकसित देश का दर्जा** प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगी।
 - **सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और स्पष्ट वनियमन कर प्रशासन की समग्र दक्षता को बढ़ाएँगे** तथा अनुपालन की लागत को कम करेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** CBDT की उत्पत्ति **केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924** से हुई, जिसने **शुरू में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिये ज़िम्मेदार केंद्रीय राजस्व बोर्ड की स्थापना की**।
 - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के प्रबंधन के प्रशासनिक बोझ के कारण वर्ष 1964 में बोर्ड का विभाजन हो गया।
 - इस विभाजन से दो अलग-अलग निकाय बने: प्रत्यक्ष करों के लिये **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** और अप्रत्यक्ष करों के लिये **केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**।
 - इस पुनर्गठन को **केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963** के तहत औपचारिक रूप दिया गया था।
 - यह **वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा** है, CBDT भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **संरचना:** **CBDT का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जो बोर्ड के कार्यों का समन्वय करता है।**
 - बोर्ड में छह सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव का पद धारण करता है।
- **चयन:** अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) से किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका नेतृत्व कर प्रशासन एवं नीति में नपुण हो।
- **कार्यप्रणाली:** CBDT आयकर और नगिम कर सहित प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार है।
 - बोर्ड पूरे आयकर विभाग के कामकाज की देखरेख करता है, जिससे कर कानूनों का कुशल प्रशासन और प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।
 - CBDT सरकार की नीतियों के अनुरूप प्रत्यक्ष कर कानूनों और दरों में बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह कर प्रणाली को बढ़ाने के लिये विधायी संशोधनों का भी सुझाव देता है।

दृष्टि भिन्स प्रश्न:

प्रश्न. आयकर अधिनियम, 1961 की जटिलता और वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं तथा वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिये आधुनिकीकरण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में काले धन के सृजन के नमिनलखिति प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चतिता का प्रमुख कारण है?

- (a) स्थावर संपदा के वर्य और वलासतियुक्त आवास में नविश के लयि संसाधनों का अपयोजन
- (b) अनुत्पादक गतविधियिों में नविश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादिका वर्य
- (c) राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास
- (d) कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि

उत्तर:(d)

??????????:

प्रश्न. 'कर वयय' शब्द का क्या अर्थ है? आवास क्षेत्र को उदाहरण के रूप में लेते हुए, चर्चा कीजिये कयिह सरकार की बजटीय नीतयिों को कैसे प्रभावति करता है। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cbdt-to-overhaul-income-tax-act-1961>

